

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2015 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. भौमाराम पुत्र कजोड
2. नहना पुत्र ओंकार
जाति माली निवासी अरनिया तहसील बसवा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नि रामअवतार जाति गुर्जर निवासी पीचूपाड़ा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई तहसील बसवा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरुद्ध आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 16.3.2005 जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम अरनिया तहसील बसवा में खसरा नम्बर 1540 रकबा 2.37 है० का आवंटन किया गया है।

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री वरुण नागर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

--:निर्णय:--

दिनांक: 21.07.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने विधि विरुद्ध तरीके से आवंटन रूल्स की अवहेलना करके आवंटन योग्य भूमि न होने एवं वेकेट लैण्ड भूमि नहीं होने के बावजूद भी बिना उद्घोषणा जारी किये बिना अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम अरनिया तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1540 रकबा 2.37 है० का आवंटन दिनांक 16.3.2005 को कर दिया। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 16.3.2005 को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने आवंटन नियमों की अवहेलना करके बिना उद्घोषणा जारी किये, बिना रिकॉर्ड की जांच किये व बिना कब्जे की जांच किये बिना वेकेट लेण्ड भूमि हुए बिना प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 16.3.2005 अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है। उक्त भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि में पशुओं को चराने के लिए चारा करते हैं। उक्त भूमि नाले की भूमि है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन एक ही पविर के लड़के देवी पत्नि किशोरी लाल जाति गुर्जर निवासी पीचूपाड़ा खुर्द को खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.71 है०, खसरा नम्बर 1540 रकबा 1.00 है० का एवं गुलाब देवी पत्नि



रामवतार गुर्जर निवासी पीचूपाडा खुर्द को खसरा नम्बर 1540 रकबा 2.37 है० का तथा रामवतार पुत्र किशोरी लाल गुर्जर निवासी पीचूपाडा खुर्द को खसरा नम्बर 1542 रकबा 1.65 है. किया गया है। एक ही परिवार के तीन लोगों को आवंटन नहीं किया जा सकता। किशोरीलाल जिसकी पत्नि, पुत्र व पुत्रवधु को उक्त आवंटन किये गये हैं उक्त किशोरीलाल राजकीय सेवा में पुलिस में नौकरी करता है। कानूनन सर्विसशुदा व्यक्ति की पत्नि पुत्र व पुत्रवधु को आवंटन नहीं किया जा सकता। किन्तु उक्त तथ्य को छिपाकर भूमि आवंटन कराया गया है। उक्त आवंटित भूमि रिकॉर्ड में नदी नाले की भूमि है जो सैटलमेन्ट के पूर्व की जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल को देखने से स्पष्ट है कि उक्त भूमि नदी नाले की भूमि है और कानूनन नदी नाले की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही आज दिन कब्जा है। उक्त भूमि के कोई रिकॉर्ड व मौके की जांच किये बिना एवं एक ही परिवार के तीन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये नियम विरुद्ध आवंटन आदेश जारी किये गये हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को वाके ग्राम अरनिया तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1540 रकबा 2.37 है. का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.3.2005 निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया प्रश्नगत भूमि आवंटन दिनांक 16.3.2005 को किया गया है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी आवंटी को दिये जा चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि आवंटन के समय प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश की गई हो इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दस वर्ष पश्चात् पेश किया गया है। इतने विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को विधिवत किया गया है। आवंटित भूमि के नकल मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने पर प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1540 के साबिक खसरा नम्बर 57 है जो कि खसरा नम्बर 127 से बने है। जमाबन्दी सम्वत 2003-22 का अवलोकन करने पर उक्त भूमि सिवायचक लगानी बंजड किस्म की भूमि है। उक्त भूमि नदी-नाले की भूमि नहीं है। आवंटन योग्य भूमि है। उक्त भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर आवंटी का कब्जा है। आवंटी राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवंटी को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के लिये कोई अनुतोष चाहा गया हो ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त भली भांति प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटन खारिज नहीं किया जाना चाहिये। जैसा कि 1995 RBJ H.C. DB 780 के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि "Rajasthan Land Revenue(Allotment of Land for agriculture purposes) Rules, 1957 and 1970- Rule 14(4) after conforment of khatedari rights allotment cannot be cancelled." अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्नगत भूमि आवंटन योग्य होने पर अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई हों इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त आवंटन को निरस्त किये जाने का औचित्य नहीं है।



हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य, सबूत भी पेश नहीं किये गये है। जिससे यह साबित किया जा सके कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि से सम्बन्धित रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवंटित भूमि सम्वत 2003-22 में सिवायचक रही है तथा नदी नाले की भूमि नहीं है एवं आवंटन योग्य है। आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश दिनांक 16.3.2005 खारिज किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 16.3.2005 ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा बहक अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा